तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./93/2005/दौसा कल्याण बनाम लक्ष्मण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.5.2026	**एकलपीठ** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री जी0एस0चारण, अधिवक्ता प्रार्थी श्री पुष्कर नारायण बैरवा, श्री विकास पाराशर एवं श्री सुमित जैन अधिवक्ता अप्रार्थी। **<u>निर्णय</u>** यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर दिनांक 01.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी कल्याण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.07. 1966 को ग्राम गोठडा में ख0न0 132 रकबा 6 बीघा भूमि का आंवटन किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे जिला कलेक्टर, दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2004 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 1 ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.10.2004 से स्वीकार करते हुये जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर दिय। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। दौराने अपील विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या1 ने दिनांक 01.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 वास्ते मूल प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) को विड्रा करवाने हेतु प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./93/2005/दौसा कल्याण बनाम लक्ष्मण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लक्ष्मण अन्य व्यक्तियों एवं वर्तमान रेस्पो0 के बहकावे में आकर अपीलार्थी कल्याण के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जबकि कल्याण के पक्ष में विधिक रूप आवंटन हुआ था। रेस्पो0 1 लक्ष्मण अपीलार्थी कल्याण से अब कोई विवाद नहीं रखना चाहता है। विवादित आराजी आवंटन वर्ष 1966 से लेकर आज दिनांक तक अपीलार्थी कल्याण के कब्जे काश्त में है। वर्तमान रेस्पो0 1 लक्ष्मण स्वेच्छा एवं विवेक से मूल प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) को विड्रा करना चाहता है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत मूल प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा पर सुना गया। चूंकि प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मण मूल प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) को विड्रा करना चाहता है। प्रकरण से संबंधित पत्रालीयां माननीय न्यायालय में तलब हो जाने के कारण रेस्पो. संख्या 1 लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) को विड्रा करने को न्यायहित में स्वीकार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2026 प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उन्हें रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 के स्थान में अपील में अपीलार्थीगण निरूपित किये जावे। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि रेस्पो0संख्या 2 ता 4 अधीनस्थ न्यायालयों में रेस्पो0 ही दर्ज है इसलिए मंडल स्तर उन्हें प्रकरण में अपीलार्थीगण दर्ज किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही प्रार्थीगण केदार, भरतलाल व रामहेत द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2026 प्रकरण के रिलीज करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी दिनांक 02.04.2026 इसी बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./93/2005/दौसा कल्याण बनाम लक्ष्मण व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसे स्वीकार करते हुये प्रकरण को रिलीज किया गया था। प्रार्थीगण प्रकरण में बार–बार रिलीज करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे अनावश्यक विलंब करना चाहते है। परन्तु वर्तमान परिस्थिति में अपील से संबंधित मूल प्रार्थना पत्र बाबत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के विड्रा हो जाने के कारण प्रस्तुत अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है एवं इसी आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी स्वतः निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाते है। अतः रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) को विड्रा किया जाने के आधार पर प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो जाती है एवं इसके अनुसरण में अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर दिनांक 01.10.2004 द्वारा पारित निर्णय को भी निष्प्रभावी माना जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(अजीत सिंह राजावत)** **सदस्य**	